रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 545] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 11, 2006/कार्तिक 20, 1928
No. 545] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 11, 2006/KARTIKA 20, 1928

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 697(अ).—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (पांचवां संशोधन) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 6 के उप-नियम (6) में, पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु कोई केबल आपरेटर, जिसका रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन, केन्द्रीय सरकार को 11 मई, 2006 को या उससे पूर्व किया गया था और वह विचाराधीन है, इस अधिसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए या ऐसा रजिस्ट्रीकरण मंजूर किए जाने या खारिज किए जाने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी टेलीविजन प्रसारण या चैनल में अपनी केबल सेवा जारी रख सकेगा या शामिल कर सकेगा :"।

[फा. सं. 1601/71/2006-टीवी (आई)]

एन. बैजेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :– मूल नियम सा.का.नि. 729(अ), तारीख 29 सितम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 459(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 1996, सा.का.नि. 710(अ), तारीख 8 सितम्बर, 2000, सा.का.नि. 282(अ), तारीख 11 मई, 2006, सा.का.नि. 452(अ), तारीख 31 जुलाई, 2006, सा.का.नि. 459(अ), तारीख 2 अगस्त, 2006 और सा.का.नि. 469(अ), तारीख 9 अगस्त, 2006 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2006

G.S.R. 697(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely:—

1. (1) These rules may be called Cable Television Networks (Fifth Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cable Television Networks Rules, 1994, in rule 6 in sub-rule (6) for the first proviso the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that a cable operator may continue to carry or include in his cable service any Television broadcast or channel, whose application for registration to the Central Government was made on or before 11th May, 2006 and is under consideration, for a period of three months from the date of this notification, or till such registration has been granted or refused, whichever is earlier :".

[F. No. 1601/71/2006 - TV(I)]

N. BAIJENDRA KUMAR, Jt. Secy.

Footnote:— The principal rules were published *vide* GSR 729(E), dated the 29th September, 1994 and amended *vide* GSR 459(E), dated the 8th October, 1996, GSR 710(E), dated the 8th September, 2000, GSR 282(E), dated the 11th May, 2006, GSR 452(E), dated the 31st July, 2006, GSR 459(E), dated the 2nd August, 2006 and GSR 469(E), dated the 9th August, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.